यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीडा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला क्रीडा अधिकारी पिथौरागढ़ के माह 01/2017 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्ना राम लेखापरीक्षक तथा श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2018 से 21.02.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री.प्रमोद चौधरी व.लेखापरीक्षक श्री अजय कुमार सचान एवं श्री रविशंकर सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.01.2017 से 03.02.2017 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2013 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

2 (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- जिला खेल कार्यालय पिथौरागढ़ जनपद पिथौरागढ़ में 08 खेलो में बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं क्रीडा प्रतिष्ठानों का निर्माण कार्यदयी संस्था के माध्यम से कराया जाता है | वर्तमान में इस कार्यालय में आवासीय बालिका बाक्सिंग क्रीडा छात्रावास संचालित किया जा रहा है | जिसमें राज्य के विभिन्न जनपदों से चयनित 15 बालिकाऐ प्रशिक्षणरत है |

अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना)	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2015-16	_	_	29.36	29.36	164.24	164.24	_	-
2016-17	_	_	39.07	35.41	170.66	163.49	_	10.83
2017-18(01/2018	_	_	38.13	10.48	187.31	59.72	_	155.24

- अवशेष धनरा श वर्षांत में शासन को सम र्पत कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः (धनरा श लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य				
2015-16					
2016-17 (दिसंबर तक)					

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव खेल
2. अपर स चव खेल
3. निदेशक खेल
4. अपर निदेशक खेल
5. संयुक्त निदेशक खेल
6. उप निदेशक खेल
7. सहायक निदेशक खेल

1- जनपद स्तर

1-जिला क्रीड़ा अ धकारी

2- उप क्रीडा धकारी

3-प्रधान सहयक

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला क्रीड़ा अ धकारी पथौरागढ़ को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया है।

a. लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

प्रस्तर 01: रु 0.84 लाख का अनियमित और अधिक भुगतान

कार्यालय जिला क्रीडा अधिकारी पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आवासीय एथलेटिक्स छात्रावास संचालित है जिसमे आवासीय खिलाड़ियो की भोजन व्यवस्था हेतु मेस संचालित की जा रही है|सत्र 2016-17 मे मेस संचालन हेतु निविदाये आमंत्रित की गयी | जिसमे निम्न तीन फ़र्मों ने भाग लिया |

1॰ मै जोशी इंटरप्राइजेज़, अल्मोड़ा

2॰ मै जय काली फूड सप्लायर्स , पिथौरागढ़

3॰ श्री दीवानी राम राज , पिथौरागढ़

निविदाओं को 31.03.2016 को खोला गया और न्यूनतम निविदा दर वाली फ़र्म के स्थान पर द्वितीय न्यूनतम निविदा दर वाली फ़र्म को मेस संचालन हेतु चयनित किया गया एवं वर्ष 2017-18 मे भी उक्त फ़र्म द्वारा ही मेस का संचालन किया जा रहा है| चयनित फ़र्म मै जय काली फूड सप्लायर्स को माह दिसम्बर 2016 से सितंबर 2017 तक कुल 5281 भोजन के लिए 16 रुपए अधिक दर से रु 84496/- का अधिक और अनियमित भुगतान किया गया| विवरण निम्नानुसार है|

स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में संचालित मेस का भुगतान विवरण			
माह	खिलाड़ी	दर	भुगतान
दिसम्बर 2016	645	161	103845
जनवरी 2017	311	161	50071
फरवरी 2017	611	161	98371
मार्च 2017	132	161	21252
अप्रैल 2017	566	161	91126
मई 2017	599	161	96439
जून 2017	299	161	48139
जुलाई 2017	605	161	97405
अगस्त 2017	749	161	120589
सितम्बर 2017	764	161	123004
कुल योग	5281		850241

अनियमित भुगतान=5281*16(161-145)= रु 84496/-

लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया क न्यूनतम दर वाली फ़र्म को बिना कसी उ चत वैधानिक कारण के नकार कर मात्र धारणा के आधार पर द् वतीय न्यूनतम दर वाली फ़र्म को चयनित कया गया| साथ ही दरो के सम्बंध के नेगो शएट करने की मुख्य कोषा धकारी की राय पर ध्यान नहीं दिया गया|

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने स्वीकार कया क अस्वीकृत फ़र्म को न तो काली सूची मे डाला गया और न ही फ़र्म के वरुद्ध कोई वैधानिक कारवाई की गई है अ पतु गुणवततापूर्ण भोजन उपलब्ध न करा पाने के पछले रिकार्ड के कारण अस्वीकृत कया गया| इकाई ने यह भी बताया क मुख्य कोषा धकारी के सुझावानुसार चयनित फ़र्म को स मति के सम्मुख उपस्थित होने के निर्देश दिये गए एवं नि वदादाता द्वारा स मति के सम्मुख उपस्थित होकर अपने पत्र के द्वारा नेगो शएसन के सम्बंध मे अपना पक्ष प्रस्तुत कया गया |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क अवैधानिक तरीके से कसी भी फ़र्म को अस्वीकृत नहीं कया जा सकता है एवं दर मे कमी हेतु पत्र के अतिरिक्त चर्चा के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है|

अतः रु 0.84 लाख के अनिय मत और अ धक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-02: रु 0.40 लाख का आयकर जमा न कया जाना |

कार्यालय जिला क्रीडा अ धकारी पथौरागढ़ के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच मे पाया गया क बिल स. 50 के माध्यम से रु 4.00 लाख की धनरा श दिनांक 16.12.2017 को पं. नैन संह सर्वेयर प्र शक्षण संस्थान मुनस्यारी के बैंक खाता सं. 35279436074 मे वेतन एवं भत्ते हेतु जमा कया गया |उक्त धनरा श से वशेष कार्या धकारी को माह मार्च 2017 से अक्टूबर 2017 (कुल आठ माह) के मानदेय का भुगतान कया जाना था | एवं उक्त धनरा श से नियमानुसार आयकर की कटौती कर आयकर वभाग के खाते मे जमा कया जाना था |

जांच मे आगे पाया गया क उक्त धनरा श से आयकर क धनरा श रु 0.40 लाख को आयकर वभाग के खाते मे जमा नहीं कया गया |

लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर जिला क्रीड़ा अ धकारी ने उत्तर में स्वीकार कया क आयकर की धनरा श अभी तक आयकर खाते में जमा नहीं कया जा सकी है जिससे आप त्त की स्वतः पुष्टि हो जाती है |

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग दो ब प्रस्तर	**STAN**
113/2013-14	-	01	-
147/ 2016-17	-	01	02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अवगत कराया कि पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेशित कर दी जायेगी।				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………………………………………Nil……………………………………………………………

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला क्रीड़ा अ धकारी पथौरागढ़ तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः
   (i) Nil

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

नाम	पदनाम	अव ध
श्री वनोद संह वल्दिया	जिला.क्रीड़ा.अ ध	23/7/2010 से 24/4/2017 तक
श्री संजीव कुमार पौरी	जिला.क्रीड़ा.अ ध.	24/4//2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला क्रीड़ा अ धकारी पथौरागढ़ को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामाजिक क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.